भाग–1

<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, धोद, जिला सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी	**जयश्री लमोरिया, आर.जे.एस**
सी.आई.एस. संख्या	386/2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	64/2023
अपराध अंतर्गत धारा	19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम
पुलिस थाना	धोद

परिवादी	राजस्थान राज्य
प्रस्तुत द्वारा	राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी ।
अभियुक्त	भंवर सिंह पुत्र गोरधन सिंह, उम्र–44 साल, निवासी जस्सुपुरा, पुलिस थाना धोद, जिला सीकर।
अधिवक्ता	सहायक अभियोजन अधिकारी श्री रविंद्र ढ़ाका राज्य की ओर से। विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप कुमार अभियुक्त की ओर से।

<u>ख</u>

अपराध की तिथि	28.03.2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट	28.03.2023
आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने की तिथि	07.06.2023
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	07.06.2023
साक्ष्य आरम्भ किये जाने की तिथि	31.07.2024
निर्णय की तिथि	04.08.2026
दण्ड दिये जाने की तिथि(यदि हो तो)	

<u>ग</u>

<u>अभियुक्त विवरण</u>

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त पर आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिये गए दण्ड का विवरण (यदि को हो तो)	धारा 428 दं.प्र.सं. के परिवीक्षा हेतु अवधि
1.	भंवर सिंह	28.03.23	29.03.23	19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम	दोषसिद्ध	–	–

भाग–2

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय गवाह सूची

क. अभियोजन गवाह

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी.ड. 1	मूलाराम	अनुसंधान अधिकारी
पी.ड. 2	झाबरमल	जब्ती कार्यवाही साक्षी
पी.ड. 3	अनिल कुमार	फर्द गिरफ्तारी व जब्तशुदा माल एफएसएल में जमा साक्षी
पी.ड. 4	राजेंद्र कुमार	फर्द गिरफ्तारी साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्ष्य

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
NIL		

ग. न्यायालय साक्ष्य

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
NIL		

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची

क.अभियोजन प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
1.	प्रदर्श पी.1	तहरीरी रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी. 2	चाक एफआईआर
3.	प्रदर्श पी.3	फर्द जब्ती अवैध शराब
4.	प्रदर्श पी.4	नक्शामौका घटनास्थल
5.	प्रदर्श पी.5	एफएसएल प्राप्ति रसीद
6.	प्रदर्श पी. 6	एफएसएल रिपोर्ट
7.	प्रदर्श पी. 7	रोजनामचा विवरण
8.	प्रदर्श पी. 8	मालखाना रजिस्टर प्रति
9.	प्रदर्श पी. 9	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम भवर सिंह

ख. प्रतिरक्षा प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
NIL		

ग. न्यायालय प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
NIL		

– निर्णय – **दिनांक: 04.08.2026**

01. इस आपराधिक प्रकरण का उद्भव थानाधिकारी पुलिस थाना धोद की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त भंवर सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम न्यायालय में पेश करने पर हुआ। जिसका अब निस्तारण किया जा रहा है।

02. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि कार्यवाहीकर्ता /जब्तीकर्ता परिवादी टोडरमल ने एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 1 इस आशय की पेश की कि दिनांक 28.03.2023 को समय 1.54 पी.एम. पर वह, झाबरमल कांस्टेबल नंबर 1233, विकास कुमार कांस्टेबल नंबर 841 मय प्राईवेट वाहन व लेपटॉप बैटरी चलित प्रिंटर, अनुसंधान बॉक्स के वास्ते करने गश्त व लोकल व स्पेशल एक्ट की कार्यवाही हेतु रवाना थाना ईलाका को हुआ तथा गांव दीपपुरा, बल्लुपुरा में गश्त की गई। दौराने गश्त उसको गांव बल्लुपुरा में समय 2. 10 पीएम पर जरिए मुखबीर ईतला मिली कि सरवड़ी गांव से जस्सपुरा गांव जाने वाली आम सड़क पर भंवर सिंह नाम का व्यक्ति एक कट्टे मे अवैध देशी शराब के पव्वे भरकर बेच रहा है। जिस ईतला से हमराह जाप्ता को अवगत करवाया गया तथा वह मय जाप्ता के रवाना होकर समय 2.20 पीएम पर गांव सरवड़ी से जस्सुपुरा जा रही डामर सड़क पर करीब एक किलोमीटर पंहुचा तो आम सड़क पर एक व्यक्ति सफेद प्लास्टिक का भरा हुआ कट्टा लिए दिखाई दिया, जो बार्वदी पुलिस जाप्ता को देखकर कट्टे को उठाकर भागने की कोशिश करने लगा, जिसको हमराह जाप्ता द्वारा घेरा देकर रोककर नाम पता पुछा गया तो अपना नाम भंवर सिंह पुत्र गोरधन सिंह, उम्र 38 साल, निवासी जस्सुपुरा, पुलिस थाना धोद, जिला सीकर होना बताया। शख्स भंवर सिंह के पास मिले कट्टे की तलाशी व जप्ती की कार्यवाही हेतु मौतबीर तलब करने के लिए झाबरमल को रवाना किया गया। जिसने वापस आकर बताया कि उक्त शख्स पास के ही गांव जस्सुपुरा का ही निवासी होने के कारण व कानूनी पचडे में नहीं पड़ने की बात कहकर कोई भी व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। जिस पर हमराही जाप्ता में से झाबरमल व विकास कुमार को मौतबीर मामूर कर शख्स के पास मिले कट्टे मे भरे शराब के पव्वों को बाहर निकालकर गिनती की गई तो कुल 46 प्लास्टिक के पव्वे देशी शराब के भरे हुए मिले जिन पर लॉयन देशी सादा मदिरा का लेबल लगा हुआ है तथा लेबल पर 50 युपी 180 एमएल लिखा हुआ है व पव्वों पर निले रंग का

ढक्कन लगा हुआ है, जिस पर अंग्रेजी मे AGRIBIOTECH INDUSTRIES LTD. AJITGARH लिखा है तथा ढक्कन पर प्लास्टिक कागज की सील लगी है। शख्स भंवर सिंह से उक्त शराब रखने व बेचने बाबत लाईसेन्स/परमिट पुछा गया तो अपने पास कोई लाईसेन्स व परमिट नही होना बताया जिस पर उक्त शख्स भंवर सिंह का इस तरह सार्वजनिक स्थान पर अवैध रुप से शराब अपने कब्जे मे रखकर बेचना अंतर्गत धारा 19/54 आबकारी अधिनियम की परिधी में आना पाये जाने पर कट्टे में मिले पव्वों में से एक पव्वा बतौर सैम्पल एफएसएल हेतु निकाला जाकर शील्ड मोहर कर मार्का A अंकित किया गया व शेष 45 पव्वों को उसी प्लास्टिक के कट्टे मे डालकर शिल्ड मोहर कर मार्का B अंकित किया गया। शख्स भंवर सिंह पुत्र गोरधन सिंह, उम्र 38 साल, निवासी जस्सुपुरा पुलिस थाना धोद जिला सीकर का अवैध शराब रखने का कृत्य जुर्म धारा 19/54 आबकारी अधिनियम की नोयीयत में पहुँचने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की पूर्णतया पालना करते हुए जुर्म से आगाह कर चैक लिस्ट मुर्तिब कर पृथक से जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। बाद कार्यवाही मय जप्तशुदा प्रार्दश व गिरफ्तारशुदा मुल्जिम भंवर सिंह के उपस्थित थाना आया व मुल्जिम को बन्द हवालात कर मौजूदा पहरा सन्तरी के सुपूर्द किया गया तथा शिल्डशुदा प्रार्दशों को जमा मालखाना करवाया गया।..........इत्यादि।"

03. उक्त तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 1 पर पुलिस थाना धोद ने प्रदर्श पी. 2 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 64/2023 दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त भंवर सिंह के विरूद्ध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध प्रमाणित पाया जाने पर आरोप–पत्र न्यायालय दिनांक 07.06.2022 को में पेश किया गया, जिस पर उक्त दिनांक को ही अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

04. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.06.2023 को बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध का आरोप प्रथम दृष्टया बनना मानते हुए अभियुक्त को धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया जाने पर अभियुक्त ने उक्त आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

05. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी .ड.–1 मूलाराम, पी.ड.–2 झाबरमल, पी.ड.–3 अनिल कुमार, पी.ड.–4 राजेंद्र कुमार के बयान लेखबद्ध करवाये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी . 1 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श पी. 2 चाक एफआईआर, प्रदर्श पी. 3 फर्द जब्ती अवैध शराब, प्रदर्श पी. 4 नक्शामौका घटनास्थल, प्रदर्श पी. 5 एफएसएल जमा रसीद, प्रदर्श पी. 6 एफएसएल रिपोर्ट, प्रदर्श पी. 7 रोजनामचा

विवरण, प्रदर्श पी. 8 मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श पी. 9 फर्द गिरफ्तारी मुलजिम भंवर सिंह प्रदर्शित कराये गये।

06. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति पर अभियुक्त के अभिकथन अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता (धारा 351 बीएनएसएस) लेखबद्ध किये गये, जिनमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए स्वयं के निर्दोष होने व झूंठा फंसाये जाने का कथन किया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा, जिस पर साक्ष्य सफाई का अवसर बंद किया गया।

07.1 बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। सहायक अभियोजक अधिकारी ने दौराने बहस अभिकथन किये कि अभियोजन की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित है तथा अभियुक्त ने स्वयं तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 1 व फर्द जब्ती प्रदर्श पी. 3 को स्वीकार भी किया है। अभियोजन साक्ष्य में कोई विरोधाभास नहीं है, अभियोजन पक्ष ने प्रकरण में प्रदर्शित समस्त दस्तावेजात को संदेह से परे प्रमाणित किया है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाकर विधिनुसार दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

07.2 अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्त का मामले से कोई संबंध नहीं है। गवाहों के बयानों में परस्पर विरोधाभास है। जहां से अवैध शराब बरामद की गई है। उक्त स्थान खुला स्थान है व आबादी क्षेत्र है। फर्द जब्ती प्रदर्श पी. 3 में कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं है। प्रकरण में सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस द्वारा ही की गई है। ऐसे में अभियोजन पक्ष अपना मामला संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

08. उभयपक्षों द्वारा बहस के दौरान दिये गये उपरोक्त तर्कों वितर्कों पर मनन किया गया। इस संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य सहित संपूर्ण पत्रावली का अवलोकन कर संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु विद्वमान हैः–

(1) क्या दिनांक 28.03.2023 को समय 1.54 पी.एम. पर ग्राम सरवड़ी से जस्सुपुरा जा रही आम सड़क पर एक प्लास्टिक के कट्टे में कुल 46 पव्वे लॉयन देशी सादा मदिरा 50 यूपी 180 एमएल के अभियुक्त भंवर सिंह के अनन्य व सचैत्नय आधिपत्य व कब्जे से बरामद किये गये, जिन्हें अपने पास रखने या परिवहन

करने बाबत कोई अनुज्ञा पत्र या लाइसेंस अभियुक्त के पास नहीं होने से अभियुक्त भंवर सिंह ने राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 का अपराध कारित किया ?

(2) यदि हाँ तो उचित दण्ड क्या हो ?

09.1 उक्त विचारणीय बिंदू के संदर्भ में सर्वप्रथम अभिलेख पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन किया जाना समीचीन है, जो निम्न प्रकार हैः–

09.2 गवाह पी.ड. 1 मूलाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 28.03.2023 को पुलिस थाना धोद में ए.एस.आई के पद पर तैनात था। उस रोज टोडरमल एच.सी नम्बर 53 ने उपस्थित थाना होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट कार्यवाही हेतु पेश की थी। मजमून रिपोर्ट से मामला धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का पाये जाने पर मुकदमा संख्या 64/23 दर्ज होकर तफ्तीश एस.एच.ओ. बाबुलाल एस.आई. ने उसके जिम्मे की थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पर ए से बी भाग पर एस.एच. ओ के हस्ताक्षर है, जो वह उनके अधिनस्थ काम करने से पहचानता है। चाक एफ. आई. आर प्रदर्श पी. 2 है, जिस पर ए से बी भाग पर एस.एच.ओ. बाबुलाल के डिजीटल हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान फर्द जब्ती अवैध देशी शराब के कुल 46 पव्वे प्रदर्श पी. 3 शामिल पत्रावली किये। परिवादी की निशानदेही से घटनास्थल का मौका मुआयना कर नक्शा मौका प्रदर्श पी. 4 मौतबीरान की उपस्थिति में बनाया, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। सी से डी हालात मौका का अंकन है। बयान परिवादी टोडरमल, गवाह विकास, झाबरमल के कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये। एफ.एस.एल. रसीद प्रदर्श पी 5 एवं एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी. 6 शामिल पत्रावली की। रोजनामचा रपट जाब्ता प्रदर्श पी. 7 एवं मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी. 8 पर ए से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर है। बाद सम्पूर्ण अनुसंधान मुलजिम भंवर सिंह पुत्र गोरधान सिंह निवासी जस्सुपुरा के खिलाफ उसने अपने अनुसंधान से बयान गवाहन एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार जुर्म धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का प्रमाणित पाये जाने पत्रावली एस.एच.ओ. बाबुलाल को सुपुर्द की थी, जिन्होने चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी, जिनके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर है। वह साथ काम करने की वजह से उनके हस्ताक्षर पहचानता है। जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त शून्य रही।

09.3 गवाह पी.ड. 2 झाबरमल ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 28.03.2023 को पुलिस थाना धोद में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उस दिन वह, टोडरमल एचसी 53, विकास कुमार कांस्टेबल गश्त व लॉकल व स्पेशन एक्ट की कार्यवाही हेतु 1.54 पीएम पर ईलाका थाना में रवाना होकर 2.10 पीएम पर बल्लूपूरा गांव

पहुंचे। जहां पर जरिए मुखबीर इत्तिला मिली की सरवडी से जस्सुपुरा जाने वाली रोड़ पर भंवरसिंह नाम का एक व्यक्ति एक कट्टे में अवैध देशी शराब के पव्वें भरकर ले जा रहा है। इत्तिला पर रवाना होकर 2.20 पीएम पर सरवड़ी जस्सुपुरा डामर रोड़ पर पहुंचे तो वहां पर एक व्यक्ति मिला जिसके हाथ में सफेद कट्टा था, जो कि बावर्दी पुलिस जाब्ता देखकर भागने लगा। हमराही जाब्ते द्वारा उसको घेरा देकर रोका गया और नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम भंवर सिंह पुत्र गोरधन सिंह उम्र 38 साल, निवासी जस्सुपुरा थाना धोद होना बताया। सख्स भंवर सिंह के पास मिले कट्टे की तलाशी व जब्ती की कार्यवाही हेतु मौतबीर तलब करने हेतु मुझे रवाना किया गया। आस–पास के लोगों ने कानूनी पचड़े से बचने के लिए स्वतंत्र गवाह बनने से इन्कार कर दिया। जिस पर हमराही जाब्ते में से उसे व विकास कुमार कांस्टेबल को मौतबीर मामूर किया गया। शख्स के पास मिले कट्टे में से शराब से भरे हुए पव्वों को निकालकर उनकी गिनती की तो कुल 46 प्लास्टिक के पव्वें देशी शराब के भरे हुए मिले, जिन पर लॉयन देशी सादा मदिरा का लेबल लगा हुआ था। लेबल पर 50 यूपी 180 एमएल लिखा हुआ था। पव्वें पर नीले रंग का ढक्कन लगा हुआ था, जिस पर अंग्रेजी में एग्रीबायोटेक इण्डट्रीज लिमिटेड अजीतगढ लिखा हुआ था। शख्स भंवर सिंह से उपरोक्त मात्रा में शराब रखने व परिवहन करने हेतु लाईसेंस व परमिट पूछा तो नहीं होना बताया। जिस पर भंवर सिंह का कृत्य 19/54 आबकारी अधिनियम की परिधी में आने से कट्टे में से एक पव्वा निकालकर सिल्डमोहर कर मार्क ए अंकित किया गया। शेष पव्वों को उसी कट्टे में रखकर सिल्डमोहर कर मार्क बी अंकित किया गया। नियमानुसार जब्ती की कार्यवाही कर अभियुक्त को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। जब्तशुदा माल व अभियुक्त को लेकर वापसी थाना आए, जहां टोडरमल एचसी ने मुकदमा दर्ज कराया। फर्द जब्ती प्रदर्श पी. 3 है, जिस पर ए से बी उसके साईन है। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी. 9 है, जिस पर ए से बी उसके साईन है।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने यह सुझाव सही बताया कि जब्ती की कार्यवाही में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। सभी गवाह विभागीय है। जब्ती की कार्यवाही टोडरमल एचसी द्वारा की गयी थी।

09.4 गवाह पी.ड. 3 अनिल कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 30.03.2023 को पुलिस थाना धोद में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उस दिन आईओ घीसाराम एएसआई ने मुकदमा नंबर 64/23 में घटनास्थल मालदास के खेत के पास नक्शामौका बनाया था, जो प्रदर्श पी. 4 है, जिस पर सी से डी उसके साईन है। उस समय कानि राजेन्द्र भी वहीं पर उसके साथ था। दिनांक 04.04. 2023 को उसे उक्त मुकदमे में जब्तशुदा माल को एफएसएल में जमा करवाने हेतु सिल्डशुदा अवस्था में दिया

था, जिसे उसने उसी दिन एफएसएल में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद लेकर वापसी थाना आया। प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी. 5 है।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह यह सुझाव सही बताता है कि जब्ती की कार्यवाही में वह जाब्ते के साथ में नहीं था। गवाह यह सुझाव सही बताता है कि जो माल एफएसएल में भेजा गया था, वह सिल्डशुदा अवस्था में था, इसलिए वह नहीं बता सकता कि पैकेट में कौनसे ब्राण्ड की शराब थी।

09.5 गवाह पी.ड. 4 राजेंद्र ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 30.03.2023 को पुलिस थाना धोद में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उस दिन समय 10:40 पी.एम. पर आईओ मुलाराम एएसआई ने मुकदमा नंबर 64/23 अंतर्गत धारा 19/54 आबकारी अधिनियम में घटनास्थल का मौका मुआयना कर उसके समक्ष नक्शामौका बनाया था, जो प्रदर्श पी. 4 है, जिस पर ई से एफ उसके साईन है। उस समय कांस्टेबल अनिल भी वहीं पर उसके साथ था।

अधिवक्ता अभियुक्त के द्वारा की गई जिरह में गवाह यह सुझाव सही बताता है कि जब्ती की कार्यवाही में वह जाब्ते के साथ में नहीं था।

10.1 हस्तगत प्रकरण को साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष को निम्न तीन बातें साबित करनी आवश्यक थी। **प्रथम** यह कि बरामद शुदा पदार्थ अभियुक्त के अनन्य व सचैतन्य कब्जे से बरामद किया गया। **द्वितीय** यह कि बरामदशुदा पदार्थ को अपने अनन्य व सचैतन्य कब्जे में रखने बाबत् अभियुक्त के पास कोई वैध लाईसेंस या अनुज्ञा पत्र नहीं था। **तृतीय** यह कि अभियुक्त के अनन्य व सचैतन्य कब्जे से बरामदशुदा उक्त पदार्थ शराब है।

10.2 उक्त प्रथम व द्वितीय बिंदु कि ''बरामदशुदा पदार्थ अभियुक्त के अनन्य व सचैतन्य कब्जे से बरामद किया गया है तथा उक्त बरामदशुदा पदार्थ को अपने अनन्य व सचैतन्य कब्जे मे रखने बाबत अभियुक्त के पास कोई वैध लाईसेंस या अनुज्ञा पत्र नहीं था। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध समग्र दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो हस्तगत प्रकरण का उद्भव फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 3 के आधार पर दी गई तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 1 के आधार पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 2 के आधार पर हुआ है। उक्त फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 3 का अवलोकन किया जाये तो उक्त फर्द जप्ती प्रदर्श पी 3 एक प्लास्टिक के कट्टे में 46 पव्वे दिनांक 28.03.2023 को समय 2.45 पीएम पर मौतबिरान गवाहान झाबरमल व विकास कुमार की उपस्थिति में जप्तीकर्ता टोडाराम द्वारा तैयार की गयी है। उक्त दोनों मौतबिरान गवाहान झाबरमल व विकास कुमार में से गवाह झाबरमल पी.ड. 2 के रूप में परीक्षित हुआ है। उक्त गवाह पी.ड. 2 झाबरमल फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 3 एफआईआर प्रदर्श पी. 2, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 1 रोजनामचा प्रति प्रदर्श पी. 7 में वर्णित

तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए मुख्य रूप से दिनांक 28.03.2023 को दौराने गश्त करते हुए सरवड़ी से जस्सुपुरा जाने वाली रोड़ पर भंवर सिंह नाम के एक व्यक्ति द्वारा प्लास्टिक के कट्टे में अवैध शराब बेचान करने की जरिये मुखबीर ईत्तला मिलने, ईत्तला पर रवाना होकर मुताबिक ईत्तला मौके पर पहुँचने पर एक व्यक्ति प्लास्टिक का कट्टा ले जाते हुए दिखाई देने, उक्त व्यक्ति बावर्दी जाब्ते को देखकर भागने, जिसको घेरा देकर रोककर, नाम पता पूछने पर अपना नाम भंवर सिंह पुत्र गोरधन सिंह, निवासी जस्सुपुरा, पुलिस थाना धोद बताने, प्लास्टिक के कट्टे की तलाशी हेतु स्वतंत्र गवाह का प्रयास करने, गवाह नहीं मिलने पर उसे व विकास कुमार को स्वतंत्र गवाह मामूर कर प्लास्टिक के कट्टे की तलाशी लेने पर उसमें 46 पव्वे देशी शराब के मिलने, शख्स भंवर सिंह से उपरोक्त मात्रा में शराब रखने व बेचान करने हेतु लाईसेंस व परमिट पूछने पर नहीं होना बताने, प्लास्टिक के कट्टे से मौके पर रासायनिक परीक्षण हेतु सीलबंद अवस्था में एक पव्वा लेकर उस पर ए मार्का अंकित करने, बाकी शेष 45 पव्वों को उसी कट्टे में सीलचिट कर मार्का बी अंकित करने एवं मौके पर ही जब्ती कार्यवाही कर अभियुक्त को जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार करने व जब्तशुदा माल व अभियुक्त को लेकर वापसी थाना आने के अभिकथन किये हैं तथा गवाह पी.ड. 2 झाबरमल द्वारा दस्तावेजात में प्रदर्श पी. 3 फर्द जब्ती व प्रदर्श पी 9 फर्द गिरफ्तारी मुलजिम पर हस्ताक्षर होना अभिकथित कर प्रदर्शित करवाया है। उक्त गवाह पी.ड. 2 झाबरमल ने फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 3 में वर्णित शराब की बरामदगी किये जाने बाबत् अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों के तात्विक विरोधाभासी कोई भी कथन अपनी जिरह के दौरान नहीं किये हैं। उक्त गवाह पी.ड. 2 झाबरमल ने अपने मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से जरिये फोन भंवर सिंह पुत्र गोरधन सिंह द्वारा अवैध शराब बेचान करने की ईत्तला मिलना, ईत्तला अनुसार सरवड़ी जस्सुपुरा डामर रोड़ पर एक व्यक्ति प्लास्टिक के कट्टे के साथ दिखना, उक्त व्यक्ति जिसके हाथ में प्लास्टिक का कट्टा होने, वह बावर्दी जाप्ते को देखकर भागने की कोशिश करने, जिसे घेरा देकर पड़ने व नाम पता पूछने पर अपना नाम भंव सिंह बताने के अभिकथन किये हैं। उक्त कथनों के विरोधाभासी कोई भी कथन गवाह पी.ड. 2 झाबरमल ने अपनी जिरह के दौरान नहीं किये हैं। इस प्रकार उपरोक्त गवाह पी.ड. 2 झाबरमल अपने मुख्य परीक्षा में किये गये सशपथ कथनों तथा फर्दात के संबंध में अखण्डित रहा है। इसके अतिरिक्त दौराने विचारण अधिवक्ता अभियुक्त व अभियुक्त ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 1 व फर्द जब्ती प्रदर्श पी. 3 को स्वीकार किया है तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 (धारा 58 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023) के तहत यह प्रावधान दिया गया है कि किसी ऐसे तथ्य को किसी कार्यवाही से साबित करना आवश्यक नहीं है, जिसे उस कार्यवाही के पक्षकार या अभिकर्ता सुनवाई के दौरान स्वीकार कर ले। इस प्रकार अभियोजन पक्ष फर्द जब्ती प्रदर्श

पी. 3 व तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 1, एफआईआर प्रदर्श पी. 2 में वर्णित तथ्यों को पूर्णतया साबित करने में सफल रहा है।

10.3 इसी प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त भंवर सिंह के कब्जे के प्लास्टिक के कट्टे में से 46 पव्वे सरवड़ी–जस्सुपुरा आम सड़क से जब्त किया जाना अपनी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 1 व फर्द जब्ती प्रदर्श पी. 3, एफआईआर प्रदर्श पी. 2 व रोजनामचा प्रति प्रदर्श पी. 7 में अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी. 4 का अवलोकन किया जावे तो, उक्त नक्शामौका घटनास्थल दिनांक 30.03.2023 सरवड़ी–जस्सुपुरा आम सड़क पर मौतबिरान गवाह अनिल कुमार व राजेंद्र की उपस्थिति में बना हुआ है। जिसमें ए से बी जस्सुपुरा से सरवड़ी आने वाली आम सड़क को दर्शाया गया है, मार्क 1 से मालदास का खेत, मार्क 2 से बनवारी का खेत तथा एक्स मार्क से आरोपी से अवैध शराब जब्त करने वाले स्थान को दर्शाया है, अर्थात वह स्थान दर्शाया है, जहां पर अभियुक्त भंवर सिंह के कब्जे के कट्टे में उपरोक्त अवैध शराब को जब्त किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.ड. 1 मूलाराम द्वारा घटना स्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी. 4 बनाये जाने के अभिकथन अपने मुख्य परीक्षण में किये हैं। नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी. 4 के मौतबिरान गवाह पी.ड. 3 अनिल कुमार, पी.ड. 4 राजेंद्र ने घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 4 पर अपने हस्ताक्षर होने तथा उनकी उपस्थिति में बनाने के कथन भी अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में किये हैं। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी जिरह के दौरान उक्त तीनों गवाहों पी .ड. 1 मूलाराम, पी.ड. 3 अनिल कुमार व पी.ड. 4 राजेंद्र घटना स्थल का नक्शा मौका बनाये जाने के तथ्यों पर अखण्डित रहे हैं। ऐसे में अभियोजन पक्ष नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी. 4 को साबित करने में सफल रहा है।

10.4 इसके अतिरिक्त प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.ड. 1 मूलाराम ने जरिये फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी. 9 के अभियुक्त भंवर सिंह को गिरफ्तार करने व उस पर हस्ताक्षर होने के अभिकथन किये हैं। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी. 9 का अवलोकन किया जाये तो उक्त फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी. 9 दिनांक 28.03. 2022 को समय 12.10 पी. एम. पर मौतबिरान गवाह विकास कुमार व झाबरमल की उपस्थिति में अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 1 मूलाराम द्वारा तैयार की गयी है। उक्त मौतबीर गवाह पी.ड. 2 झाबरमल ने अभियुक्त भंवर सिंह को उसके समक्ष जरिये फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी. 9 गिरफ्तार करने का कथन अपने सशपथ मुख्य परीक्षा में किया हैं। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी जिरह के दौरान गवाह पी.ड. 1 मूलाराम व पी.ड. 2 झाबरमल अभियुक्त भंवर

सिंह को गिरफ्तार किये जाने के तथ्य पर अखण्डित रहे हैं। ऐसे में अभियोजन पक्ष फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी. 9 को साबित करने में सफल रहा है।

10.5 इस प्रकार गवाह पी.ड. 2 झाबरमल, पी.ड. 1 मूलाराम, पी.ड. 3 अनिल कुमार व पी.ड. 4 राजेंद्र अपने सशपथ बयानों में इस तथ्य पर अखण्डित रहें कि दिनांक 28.03.2023 को अभियुक्त भंवर सिंह के अनन्य व सचैतन्य कब्जे के प्लास्टिक के कट्टे में से 46 पव्वे अवैध शराब के बिना अनुज्ञा पत्र/लाईसेंस के सरवड़ी से जस्सपुरा जाने वाली आम सड़क पर बरामद किये गये। इस प्रकार अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त भंवर सिंह के अनन्य व सचैतन्य कब्जे के प्लास्टिक के कट्टे में से 46 पव्वों की बरामदगी की गयी। जिनको अपने अनन्य व सचैतन्य कब्जे में रखने बाबत कोई अनुज्ञा पत्र अभियुक्त भंवर सिंह के पास नहीं था।

10.6 उक्त तृतीय बिंदु की अभियुक्त भंवर सिंह के अनन्य व सचैतन्य कब्जे से बरामदशुदा उक्त पदार्थ शराब ही था, के बाबत् पत्रावली का अवलोकन करें तो अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्त के अनन्य व सचैतन्य कब्जे में 46 पव्वे देशी शराब के सील बंद अवस्था में मिले। जिसमें से 1 पव्वा बतौर सैम्पल मार्क ए अंकित किया जाकर पृथक से सील मोहर किया गया तथा शेष बचे 45 पव्वों को उसी कट्टे में डालकर मार्का बी अंकित कर सीलमोहर किया गया। गवाह पी.ड. 2 झाबरमल ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ अभियोजन पक्ष की कहानी के उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यही अभिकथन किये हैं कि अभियुक्त के कब्जे के प्लास्टिक के कट्टे से बरामद 46 पव्वों में से 1 पव्वा बतौर सैम्पल लेकर मार्का ए अंकित कर अलग से सील मोहर करने तथा शेष 45 पव्वों को उसी कट्टे में डालकर मार्का 'बी' अंकित कर सीलचिट किया गया। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 1 मूलाराम ने मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी. 8 पर अपने हस्ताक्षर होना अभिकथित कर प्रदर्शित करवाया है। पत्रावली पर उपलब्ध उक्त मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 8 का अवलोकन किया जावे तो उक्त मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 8 में एक शिल्डशुदा देशी शराब का पव्वा बतौर एफएसएसल सैम्पल हेतु निकाल, जिस पर मार्क ए अंकित है व एक प्लास्टिक का कट्टा जिसमें अवैध देशी शराब के कुल 45 पव्वे व मार्क बी अंकित है, मुकदमा नंबर 64/2023 धारा 19/54 पुलिस थाना धोद में टोडरमल एचसी 53 द्वारा जब्त कर मालखाना में जमा करने का इन्द्राज है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी जिरह के दौरान गवाह पी.ड. 1 मूलाराम व गवाह पी.ड. 2 झाबरमल द्वारा उपरोक्त तथ्यों के विरोधाभासी कोई अभिकथन नहीं किये हैं। ऐसे में पी.ड. 1 मूलाराम व गवाह पी.ड. 2 झाबरमल के उक्त कथन अखण्डित रहे हैं। इस प्रकार अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त भंवर सिंह

के कब्जे के प्लास्टिक के कट्टे में से बरामद पव्वों में से सैम्पल लेने व सैम्पल निकालने के पश्चात् सैम्पल व शेष बचे पव्वों को सील्डशुदा मालखाने में रखवाया गया था। इसी अनुक्रम में गवाह पी.ड. 3 अनिल कुमार ने प्रकरण में जब्तशुदा माल में से एक पव्वा सीलबंद अवस्था में रासायनिक जांच हेतु रासायनिक प्रयोगशाला में जमा करवाने तथा जमा प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी. 5 वापस माल खाना ईंचार्ज को देने के कथन किये हैं। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह के दौरान गवाह पी.ड. 3 अनिल कुमार उक्त तथ्यों के विरोधाभासी या खण्डनकारी कोई भी कथन नहीं किये है। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 1 मूलाराम ने अपने सशपथ बयानों में एफएसएल प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी. 5 व एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी. 6 शामिल पत्रावली करने के कथन किये हैं। जिसके विरोधाभासी कोई भी कथन पी.ड. 1 मूलाराम द्वारा अपनी जिरह में नहीं किये हैं। ऐसे में उक्त फर्दात व तथ्य अखण्डित रहे हैं।

10.7 पत्रावली का आगे अवलोकन किया जाये तो नमूना सैम्पल प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी. 5 क्रमांक SFSL(JAI)/6358/CHE/23 दिनांक 04.04.2023 के अनुसार पत्र क्रमांक 11512–13 दिनांक 31.03.2023 के माध्यम से नमूना सैम्पल सीलचिट अवस्था में अनिल कुमार से प्राप्त किये जाने बाबत् अंकन है। पत्रावली पर उपलब्ध एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी. 6 का अवलोकन किया जावे तो एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी. 6 क्रमांक SFSL(JAI)/6358/CHE/2088/23 दिनांकित 13.06.2023 में पत्र संख्या 11512–13 दिनांक 31.03.2023 के द्वारा फर्दानुसार प्राप्त नमूना मार्क ए में Liquor having 53.32 under proof ethyl alcohol पायी जाने का अंकन है। जिसका कोई भी खण्डन अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी जिरह के दौरान नहीं हुआ है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त भंवर सिंह के अनन्य व सचैन्तय कब्जे के प्लास्टिक के कट्टे में से बरामदशुदा पव्वों में शराब ही थी।

11. इसके अतिरिक्त जहां तक अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से जो गवाहान पेश कराये गये है, वे सभी पुलिसकर्मी हैं तो इस सम्बन्ध में न्यायालय का मत है कि गवाह की साक्ष्य पर महज इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि वह पुलिसकर्मी है विशेषतः उस दशा में जब गवाहान की साक्ष्य पूर्णतः अखण्डित रही है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में गवाहान की साक्ष्य पूर्णतः अखण्डित रही है।

12. इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के आधार पर अभियोजन पक्ष यह तथ्य साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है कि दिनांक 28.03.2023 को समय 02.20 पी.एम. पर सरवड़ी से जस्सुपुरा जाने वाली आम सड़क पर अभियुक्त भंवर सिंह के अनन्य व सचैतन्य कब्जे के प्लास्टिक के कट्टे में से 46 पव्वे देशी शराब के बरामद किये, जिन्हें अपने

पास रखने या परिवहन करने बाबत् कोई वैध अनुज्ञा पत्र या लाईसेंस अभियुक्त भंवर सिंह के पास नहीं था। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है, जिसके परिणामतः अभियुक्त आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किए जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

13. परिणामतः अभियुक्त भंवर सिंह पुत्र गोरधन सिंह, उम्र–44 साल, निवासी जस्सुपुरा, पुलिस थाना धोद, जिला सीकर को धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध के आरोप में दोषी पाये जाने पर दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(जयश्री लमोरिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
धोद, जिला सीकर

सजा के बिन्दु पर

14.1 सजा के बिन्दु पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त को पूर्व में किसी अन्य प्रकरण में दोषसिद्ध घोषित नहीं किया गया है तथा ना ही पूर्व में परिवीक्षा अधिनियम के तहत परिवीक्षा का लाभ लिया है, जिस सन्दर्भ में पृथक से शपथ पत्र भी पेश किया गया है तथा यह भी कथन किये कि अभियुक्त वर्ष 2023 से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जावे। जिसका अभियोजन अधिकारी ने विरोध किया।

14.2 उपरोक्त तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का कोई आपराधिक रिकोर्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभियुक्त को पूर्व में किसी अन्य प्रकरण में दोषसिद्ध घोषित करने या अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभियोजन द्वारा पेश नहीं किया गया है। अभियुक्त द्वारा पूर्व में किसी अन्य प्रकरण में दोषसिद्ध घोषित नहीं होने तथा पूर्व में परिवीक्षा का लाभ नहीं लिये जाने के संबंध में स्वयं का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका भी कोई खण्डन अभियोजन पक्ष की ओर से नहीं किया गया है, जिससे अभियुक्त को पूर्व में दोषसिद्ध किया गया हो या उसके द्वारा परीविक्षा का लाभ लिया गया हो यह जाहिर नहीं होता है। अतः प्रकरण के उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को तुरन्त सजा की बजाय परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>दण्डादेश</u>

15.1 परिणामतः अभियुक्त भंवर सिंह पुत्र गोरधन सिंह, उम्र–44 साल, निवासी जस्सुपुरा, पुलिस थाना धोद, जिला सीकर को धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाकर अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत इस शर्त पर पाबन्द कर रिहा किये जाने के आदेश दिये जाते हैं कि अभियुक्त एक वर्ष की अवधि तक शान्ति, सद्व्यवहार व नेकचलनी से जीवन यापन करेगी, इस अवधि में किसी प्रकार के अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा , जब भी इस अवधि में न्यायालय दण्ड भुगतने के लिये आहूत करेगा तो उपस्थित हो जावेगा। इस हेतु अभियुक्त धारा 4 के तहत 10,000/– रुपये का स्वयं का मुचलका एक वर्ष की अवधि के लिए तथा इसी स्तर की एक विश्वसनीय जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करावे तथा धारा 5 परिविक्षा अधिनियम के तहत 1000/– रुपये अक्षरे एक हजार रुपये अभियोजन व्यय के भी न्यायालय में जमा करावे तो परिवीक्षा पर रिहा किया जावे।

15.2 अभियुक्त के पूर्व में उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके नियमानुसार निरस्त समझे जावे।

15.3 अभियुक्त को धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता (धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति हेतु 10,000/– रुपये का स्वयं का मुलचका व जमानती पेश कर तस्दीक करवाने के आदेश दिए जाते हैं। अपील प्रस्तुत न होने की दशा मे उक्त जमानत मुचलके 06 माह की अवधि के पश्चात स्वतः ही उन्मोचित समझे जावे।

15.4 प्रकरण में जप्तशुदा शराब के निस्तारण के संबंध में पूर्व में दिनांक 18.08.2023 को आदेश पारित किया जा चुका है तथा दिनांक 18.08.2023 के आदेश अनुसार लिया गया नमूना सैम्पल बाद गुजरने मियाद अपील, अपील नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

(जयश्री लमोरिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
धोद, जिला सीकर

16. यह निर्णय आज दिनांक 04.08.2026 को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व मुद्रा सरे इजलास सुनाया गया।

(जयश्री लमोरिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
धोद, जिला सीकर